राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4149 / 2021

डॉ. निधि शर्मा (कर्मचारी आईडी– आरजेबीआर2000804036929)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.09.2021

आदेश की दिनांक : 01.06.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुप्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से इस अपील में यह तथ्य अंकित किये गए हैं कि अपीलार्थिया की योग्यता एमबीबीएस है और उसे दिनांक 14–3–2011 के आदेश द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया और उसे पीएचसी डाबला बूंदी में लगाया गया। अपीलार्थिया में लगभग तीन वर्ष तक नियमित सेवाएं दी इसके पश्चात उसे उच्च शिक्षा पी.जी. (बायोकेमेस्ट्री) के लिए आदेश दिनांक 30–6–2014 द्वारा चयन किया गया। अपीलार्थिया ने एमबीबीएस परीक्षा महाराजा सराजीराव विश्वविद्यालय बडौदा से वर्ष 2007 में उत्तीर्ण की इसके पश्चात राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 025372 है। उसके पश्चात उसे वर्ष 2014 में पी.जी कोर्स के लिए चयन किया गया। अपीलार्थिया ने जून, 2017 में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की और 25–6–2019 को एम.डी. बायोकेमेस्ट्री का सर्टिफिकेट दिया गया। अपीलार्थिया ने तीन वर्ष का स्नोत्तकोतर (पी. जी.) 7–4–2014 से 3–7–2017 तक पूरी की। राजस्थान सर्विस रूल्स में प्रावधान है कि विधिवत रूप से चयनित स्टेडी लीव के लिए कर्मचारी को विभाग द्वारा 50 प्रतिशत वेतन दिया जाता है। इस संबंध में

जनवरी, 2015 में आदेश पारित किया गया। अपीलार्थिया ने अपनी स्नात्तकोतर परीक्षा उत्तीर्ण की और इसकी पश्चात प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा 1–7–2017 को अपीलार्थिया को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थिया ने दिनांक 4–7–2017 को शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था कि उसका सेवारत कोटे से पी.जी. में अध्ययनरत थी और उसका चयन वरिष्ठ प्रदर्शक (बायोकेमेस्ट्री) के पद पर हो गया था लेकिन तत्काल समय में पी.जी. अध्ययनरत होने के कारण कार्यग्रहण नहीं कर सकीं। अपीलार्थिया तत्काल समय में पी.जी. में अध्ययनरत थी इसलिए वह कार्यग्रहण नहीं कर सकती थी इसलिए उसने अपनी नियुक्ति की कार्यग्रहण अवधि बढ़ाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया और उसकी 16–3–2017 तक कार्यग्रहण अवधि बढायी गई जो कि पर्याप्त नहीं थी क्योंकि उसका अध्ययन जुलाई 2017 तक था। अपीलार्थिया ने पुनः समय बढ़ाने हेतु एक प्रार्थना–पत्र दिया लेकिन विभाग द्वारा समयावधि नहीं बढ़ायी गई जिसके विरूद्ध रिट याचिका संख्या 11108/2017 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2018 द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलार्थिया को समयावधि बढाने के पश्चात कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। अपीलार्थिया ने 3 जुलाई 2017 को पी.जी. परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और उसे कॉलेज के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया था लेकिन उसकी ज्वाईनिंग अवधि नहीं बढ़ाने के कारण वह वरिष्ठ प्रदर्शक (बायोकेमेस्ट्री) के पद पर कार्यग्रहण नहीं कर सकी। उसके पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर उसने 18–1–2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसे कार्यग्रहण कराया जाय। इसके पश्चात भी विभाग द्वारा उसे वरिष्ठ प्रदर्शक (बायोकेमेस्ट्री) के पद पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया। उसने दिनांक 5–3–2018, 21–3–2018 को पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। गया। ततपश्चात दिनांक 2–4–2018 को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थिया को जुलाई 2017 में पी. जी. स्नात्तकोतर उत्तीर्ण करने के पश्चात कार्यग्रहण नहीं कराया गया। यदि उसकी सेवा ज्वाईनिंग अभिवृद्धि करते हुए जुलाई,2017 में कार्यग्रहण कराया जाता तो जुलाई, 2018 में उसका एक वर्ष का प्रोबेशन काल पूर्ण हो जाता और वह आगामी पदोन्नति पर

सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2018–19 अथवा 2019–20 के लिए पूर्णरूप से योग्य थी।

2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थीया के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थीया की 03.07.2017 को पीजी उत्तीर्ण हुई थी। उसे 03.07.2017 को ही नियुक्ति का समय बढ़ाते हुए नियुक्ति करानी चाहिए थी। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने बिना किसी उचित कारण के अपीलार्थीया को वरिष्ठ प्रदर्शक (बायोकेमेस्ट्री) के पद पर कार्यग्रहण नहीं कराया। कार्यग्रहण नहीं कराने में अपीलार्थीया का कोई दोष नहीं है। इसलिए अपीलार्थीया को वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त करने की अधिकारी है। अपीलार्थीया से कनिष्ठ व्यक्ति को वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है तथा अपीलार्थीया को भी वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाये व समस्त पारिणामिक लाभ भी दिये जाये।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर द्वारा डॉ निधि शर्मा को आदेश क्रमांक :– ई –26/राज्य/पी. जी. – 2014/2014/23 दिनांक 06.01.2015 द्वारा दिनांक 04.07.2014 से 03.07.2017 तक 03 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया । राज. लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 1 (88) डी. एम. ई/16/8373 दिनांक – 17.09.2016 एफ. 1 (88) 62/डी.एम.ई/16/7093 दिनांक 14.10.2016 एवंम (120) एमई/ग्रुप–1/2017 दिनांक 28.11.2018 के द्वारा वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर नियुक्ति दिये जाने के फलस्वरूप डॉ० निधि शर्मा द्वारा प्रावधानुसार कार्यमुक्त होकर इस संस्थान में वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर दिनांक 21.12.2018 को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की तथा 01 वर्ष का परीविक्षाकाल पूर्ण होने दिनांक 21.12.2019 से नियमित वेतन एल–14 में रू. 82400 स्वीकृत किया गया। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपील को खारिज की जाने की प्रार्थना की गई है।

4. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थीया ने दिनांक 03.07.2017 को तीन वर्ष की स्नातकोतर (पीजी) उत्तीर्ण कर ली थी और अपीलार्थीया को तीन वर्ष का अवकाश भी स्वीकृत किया जा चुका

है। अपीलार्थीया को पीजी उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद वरिष्ठ प्रदर्शक (बायोकेमेस्ट्री) के पद पर कार्यग्रहण नहीं करवाया। जिस पर अपीलार्थीया की कोई गलती नहीं थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने के पश्चात अपीलार्थीया को कार्यग्रहण करवाया गया। जुलाई, 2017 में यदि कार्यग्रहण किया जाता तो जुलाई, 2018 में अपीलार्थीया का परिवीक्षाकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो जाता। जो पदोन्नति सहायक आचार्य के पद पर होनी थी, उसके लिए वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के योग्य होती। यह भी तथ्य आया है कि अपीलार्थीया से कनिष्ठ व्यक्ति को वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थीया को सहायक सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति इसलिए नहीं दी जा सकी, क्योंकि अपीलार्थीया की पीजी उत्तीर्ण करने के बाद समय पर वरिष्ठ प्रदर्शक (बायोकेमेस्ट्री) के पद पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया। जिसमें अपीलार्थीया की कोई त्रुटि नहीं रही है।

5. अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थीया को वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति के लिए विचार किया जाये एवं यदि अपीलार्थीया योग्य पाई जाती हैं तो उसे सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति दी जाये एवं अपीलार्थीया को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)